बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—: संकल्प :—

पटना–15, दिनांक 23.01.2018

संचिका संख्या–6/आ०–90/2004(खण्ड)–1109/कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एव अपील) नियमावली 1969 में कतिपय संशोधन करते हुए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2017 लागू की गयी है। संशोधित नियमावली, 2017 में अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के क्रम में अपनायी जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत् है :–

(i) Introduction of time frame in Rule 8(5) providing the Charged Officer a period of 30 days for submission of the representation on the chargesheet served on him. The period may be extended by another 30 days by the Disciplinary Authority for reasons to be recorded in writing. Under no circumstances, the extension shall exceed 90 days from the date of receipt of the Articles of Charge.

(ii) Insertion of new Sub-rule 8(25)(a),(b) &(C) whereby the Inquiring Authority should conclude the inquiry and submit his report within six months from the date of appointment. Any further extension of time would be permissible, six months at a time with the approval of the Disciplinary Authority or any writing by Inquiring Authority.

(iii) Introduction of time frame of 15 days for submission of the representation by the charged officer on the advice of UPSC regarding quantum of penalty proposed. This period can be extended by 15 days by the DA for reasons to be recorded in writing. Under no circumstances, the extension shall exceed 45 days from the date of receipt of the Articles of Charge.

2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार के पत्रांक–106/7/2015–AVD.I(part) दिनांक 15.03.2017 में वर्णित दिशा–निर्देशों के आलोक में बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए अखिल भारतीय सेवाऍ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8(5)(ख), नियम–8(25) एवं नियम–9(5)(ख) के तहत निर्धारित समय विस्तार करने की शक्ति, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्यायोजित की जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक मे राज्य सरकार में कार्यरत भा.प्र.से. के पदाधिकारियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति विभागीय जाँच आयुक्त, अपर विभागीय जाँच आयुक्त सहित सभी संबंधितों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6/आ०–90/2004(खण्ड)–सा०प्र० –**1109**/पटना, दिनांक :– **23.01.2018**

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

ज्ञापांक–6 / आ०–90 / 2004(खण्ड)–सा०प्र०– **1109** / पटना, दिनांक **23.01.2018**

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार / अध्यक्ष–सह–सदस्य–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना / अपर विभागीय जाँच आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 6, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।